अध्याय 28

विशेष कोच व गाड़ी के आरक्षण के नियम

आवेदन

जो पार्टी पूरे डिब्बे या गाड़ी का आरक्षण करवाना चाहती है, उसे यात्रा प्रारम्भ करने की दिनांक से कम से कम 30 दिन पहले व अधिकतम 6 माह पहले क्षेत्रीय रेलवे के मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक को आवेदन करना होगा।

आवेदन के साथ यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन, गंतव्य स्टेशन, रूकने वाले स्टेशनों के नाम, डिब्बों के प्रकार, सैलून पर्यटक यान, यात्रा की दिनांक, यात्री की संख्या व पूरे कार्यक्रम का विवरण देना होगा।

यदि आवेदन 30 दिन से कम समय से किया जाता है तो मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक से विशेष अनुमति लेनी होगी।

सिक्योरिटी डिपोजिट एवं पंजीकरण प्रभार

जिस स्टेशन से यात्रा प्रारम्भ करनी है उस स्टेशन पर 10,000/– रूपये प्रति कोच अग्रिम जमा करवाने होगें। इसमें से 5000/– रूपये प्रति कोच टिकट की राशि में समायोजित कर ली जायेगी, शेष 5000/– रूपये प्रति कोच सिक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में रेलवे के पास जमा रहेगी। जिसे यात्रा समाप्ति पर यदि रेलवे की कोई राशि बकाया है तो उसे काट कर बुकिंग स्टेशन मास्टर द्वारा रिफंड कर दिया जायेगा।

किराया न्यूनतम 500 किमी के लिए बाह्यरी व वापसी यात्रा के लिए अलग–अलग पॉइंट टू पॉइंट के आधार पर मेल/एक्सप्रेस का लिया जायेगा। राजधानी / शताब्दी गाड़ी में यदि ए.सी. कोच लगाये जाते है तो किराया गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक का लिया जायेगा।

स्पेशल गाड़ी में कम से कम 15डिब्बें जोड़े जायेंगे लेकिन यदि गाड़ी में न्यूनतम संख्या से कम डिब्बे जोड़ें जाते है तो जितने कोच कम जोड़े जाते हैं उनका किराया द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस का लिया जायेगा। यदि डिब्बे अधिक लगाये जाते है तो किराया वास्तविक डिब्बों की संख्या का लिया जायेगा।

किराया

पॉइंट टू पॉइंट के आधार पर वयस्क यात्रियों का मेल/एक्सप्रेस का श्रेणी अनुसार डिब्बे/गाड़ी की वहन क्षमता के अनुसार या यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या इसमें से जो भी अधिक हो के अनुसार राउण्ड ट्रिप के आधार पर लिया जायेगा। अर्थात वापसी यात्रा का किराया उस स्टेशन तक का लेंगे जहां से गाड़ी प्रारम्भ हुई है। यदि अदा किये गये किराये से अधिक संख्या में यात्री है तो उन्हें श्रेणी अनुसार मेल/एक्सप्रेस का किराया लेकर टिकट ले लेना चाहिए अन्यथा उन्हें बिना टिकट का यात्री मानकर चार्ज करेंगे।

सेवा शुल्क

मूल किराये पर 20 प्रतिशत सेवा शुल्क लिया जायेगा।

डैवलपमेंट चार्ज

राउंड ट्रिप के अनुसार दो बार लिया जायेगा।

खाली कर्षण प्रभार (Empty Haulage Charge)

चाहें कोच प्रारम्भिक स्टेशन पर उपलब्ध हो अथवा नहीं या नजदीक के स्टेशन से मंगवाया जाये या नहीं जहां ये डिब्बे उपलब्ध है। इस हेतु पार्टी से खाली कर्षण प्रभार निम्न दर से न्यूनतम 200 किमी के लिए लिया जायेगा :–

फुल टैरिफ रेट का 50 प्रतिशत। इसमें आरक्षण व डैवलपमेंट चार्ज जोड़ेंगे लेकिन सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे।

रूकौनी शुल्क

रु. 300/– रूपये प्रति कोच प्रति घंटा या इसका कोई भाग, न्यूनतम 1500/– रूपये प्रति कोच लिये जायेगे (01.10.07 से) – (सी.सी. 07/07)।

1. कोई फ्री समय नहीं दिया जायेगा।
2. यह रेट बी.जी., एम.जी. व एन.जी. तीनों के लिए लागू होगी।

डायनिंग कार/पेंट्रीकार/किचन कार/जेनरेटर कार

उपरोक्त किसी प्रकार का कोच यदि स्पेशल ट्रेन में पार्टी द्वारा लगवाया जाता है तो बी.जी./ एम.जी./ एन.जी. 85/– रूपये प्रति कार प्रति किमी. लेंगे तथा उपरोक्त के अलावा कार में उपलब्ध बर्थों की वहन क्षमता या यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या जो भी अधिक हो के अनुसार शयनयान श्रेणी का किराया व 20 प्रतिशत सेवा शुल्क लिया जायेगा।

एस.एल.आर./लगेज वान

एस.एल.आर. का किराया द्वितीय श्रेणी की वहन क्षमता के अनुसार द्वितीय श्रेणी का लिया जायेगा। लेकिन एस.एल.आर. के लगेज भाग को उसकी वहन क्षमता तक बिना कोई अतिरिक्त भाड़ा लिये पार्टी को प्रयोग करने दिया जायेगा।

इंजन चार्जेज

यदि स्पेशल गाड़ी में पार्टी इंजन चालू रखवाती है तो बी.जी. में 250/– रूपये, एम.जी/एन.जी. में 150/– प्रति इंजन प्रति घंटा की दर से चार्ज लिया जायेगा।

भुगतान

किराये का भुगतान निर्धारित गाड़ी के रवाना होने के निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व तक कर दिया जाना चाहिये अन्यथा यह माना जाएगा कि आयोजकों ने अपने आवेदन को रद्द कर दिया है। फलस्वरूप सिक्योरिटी डिपॉजिट व पंजीकरण के रूप में जमा समस्त राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यात्रा आरम्भ करने के पूर्व आरम्भिक स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा एक निर्धारित फोल्डर दिया जाएगा।

आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि फोल्डर में सभी विवरण सम्बन्धित स्टेशन मास्टरों से विधिवत भरवा कर उनसे मोहर व हस्ताक्षर करवा लिये गये हैं। जब तक यह कार्य पूर्ण न हो स्टेशन मास्टर और गाड़ी का गार्ड गाड़ी नहीं चलाएगें। यात्रा पूरी होने पर 6 महिने के अन्दर फोल्डर आरम्भिक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को जमा करा दिया जाना चाहिये, जिसके आधार पर सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी रेलवे के कोई ड्यू चार्ज हों तो काट कर करदी जायेगी।

पहचान पत्र

आयोजक प्रत्येक सदस्य को एक पहचान पत्र देगा जबकि बुकिंग के समय यात्रियों की संख्या बताई जाए। यात्रा शुरू करने से पूर्व सदस्यों के नामों की लिस्ट सम्बन्धित स्टेशन प्रबन्धक को प्रस्तुत की जानी चाहिये। सदस्यों के पहचान पत्रों पर बुकिंग स्टेशन के स्टेशन प्रबन्धक की स्टाम्प लगी हुई व हस्ताक्षर करे हुए होने चाहिये।

निरस्तीकरण प्रभार

यदि विशे-न सवारी डिब्बे के लिये माँग यात्रा के निर्धारित दिन से दो दिन या उससे पहले रद्द की जाती है तो 10% पंजीकरण राशि काट ली जाएगी। यदि निरस्तीकरण एक दिन पूर्व और गाड़ी छूटने से 4 घंटे पूर्व तक कराया जाता है तो किराये की 25% राशि काटी जाएगी। यदि यात्रा गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से 4 घंटे के भीतर या गाड़ी जाने के बाद रद्द की जाती है तो किराये की 50% राशि काटी जाएगी।

नोट : **आई.आर.सी.टी.सी.** के द्वारा बुक कराये जाने पर कोच के मामले मे **2 लाख रु.** व विशेष गाड़ी के मामले मे **30 लाख रु.** लम्प सम सिक्यूरिटी डिपोजिट कम पंजीकरण शुल्क लिया जायेगा। बेसिक किराये का **15 % सर्विस चार्ज** लिया जायेगा, कोच के मामले में इसे **5 %** किया जा सकता है यदि आई.आर.सी.टी. द्वारा 12 महिने का पैकेज दिया जाता है। राजधानी व शताब्दी के मामले में स्टेंडर्ड कम्पोजीशन या वास्तविक कोचों की संख्या जो भी ज्यादा हो के अनुसार किराया लिया जायेगा।

***